कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री परमानन्द अडवाणी, 8ए, सिन्धु नगर, बरेली।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**341 / 08, 11.08.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री परमानन्द अडवाणी, 8ए, सिन्धु नगर, बरेली द्वारा दिनांक 11.08.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि इनका वित्तीय वर्ष 2006-07 में सप्लाई कलेक्शन, स्टेकिंग का आर्डर मिला है। यह एक पंजीकृत व्यापारी हैं। इनका अनुरोध है कि इनको प्राप्त ठेकों में विभाग द्वारा भुगतान के समय कोई टी0 डी0 एस0 न काटे जाने के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जाये जिससे भुगतान के समय वाणिज्य कर की कोई कटौती न हो सके।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 05.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली द्वारा पत्र संख्या-2791, दिनांक 23.12.2008 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि वाणिज्य कर की प्रक्रिया के अनुसार संविदी विभाग द्वारा माल की सप्लाई के विरूद्ध किये जा रहे भुगतान पर वाणिज्य कर की कटौती करके जमा किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार जमा की गई कटौती की धनराशि के सम्बन्ध में अन्तिम कर निर्धारण आदेश में समस्त करदेयता निर्धारित करने के उपरान्त अधिक जमा राशि की वापसी / समायोजन की कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार पूर्व निर्धारित प्रकिया व मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्रों का अनुपालन करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा सप्लाई कलेक्शन व स्टेकिंग के फलस्वरूप किये जाने वाले भुगतान में से वाणिज्य कर की कटौती न करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस

....2

शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

उक्त प्राविधानों में स्रोत पर कटौती के सम्बन्ध में कोई प्रमाण-पत्र देने अथवा आदेश करने से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दिया जाना प्राविधानित नहीं है। स्रोत पर कटौती के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-34 (1) में प्राविधान किया गया है अत: इस सम्बन्ध में उत्पन्न प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 से आच्छादित न होने के कारण ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी का अनुरोध उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) से आच्छादित नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती से सम्बन्धित अनुरोध पर कोई विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। अत: प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 14 मार्च, 2014

ह0 / 14.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।